**संख्या-13/2020/355/71-4-2020-एस-01/19**

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय सैफई, इटावा के गैर वेतन मद व अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4556/ई/यू.पी.यू.एम.एस./एफ.एण्ड.ए./2019-20, दिनांक 12.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0331-रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा में पैरा मेडिकल इंस्टीटयूट की स्थापना के मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय सैफई, इटावा उनके सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि 1506.00 लाख में से धनराशि रू0 753.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या 04/2019/471/71-4-2019-एस-01/2019 दिनांक 12.04.2019 के द्वारा स्वीकृत की गयी थी। आपके पत्र संख्या-4556/ई/यू.पी.यू.एम.एस./एफ.एण्ड.ए./2019-20, दिनांक 12.03.2020 के साथ उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय सैफई, इटावा को उनके नाम के सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 753.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

| क्र0संख्या | विश्वविद्यालय/संस्था का नाम | लेखाशीर्षक | मद | अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा | -2210चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी--03शिक्षा0331 -रूरल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीटयूट की स्थापना | 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) | 753.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | |
|---|---|
| योग- | 753.00 |

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जाएगा।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4- स्वीकृति धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
5- धनराशि को कोषागार से विश्वविद्यालय/संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-406/दस-2020, दिनांक 26 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-13**/2020/355**(1)/71-4-2020-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार सिंह )
उप सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in